रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 1971/पौष 22, 1892
No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 1971/PAUSA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January 1971

G.S.R. 92.—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, namely—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970,—

(a) in rule 11, for the words "during working hours" the words "at any time between 10-30 a.m. and 4-00 p.m. on any day other than Sundays and public holidays, and the second Saturdays of each month" shall be substituted.

(b) after rule 11, the following rules shall be inserted, namely:—

"12. *The procedure to be followed in furnishing particulars of agreement.*—In respect of every agreement which is subject to registration under Chapter V of the Act—

(i) there shall be delivered or sent to the Registrar within the period specified in sub-section (2) of section 35 of the Act,—

(a) four copies of each document specified, in relation to that agreement, in clause (iii) of this rule, one copy of each of which is signed or identified by the signature of the person furnishing it, and therewith,

(b) a certificate in form VIII signed by the person furnishing such copies and certifying that there are comprised in those copies the whole of the terms of that agreement and the names of the persons who are parties to it (including in the case of an agreement made by a trade association, all persons who are members of the association or are represented thereon by such members);

(ii) where any person is a party to numerous agreements and which, except for the identity of another party thereto or the date thereof or both, are in the same form, he may instead of complying with clause (i) of this rule in respect of each of those agreements individually, deliver or send to the Registrar within the period specified in sub-section (2) of section 35 of the Act—

(a) four copies of each document specified in clause (iii) of this rule, setting out the whole of the terms common to all agreements, one copy of each of which is signed or identified by the signature of the person furnishing it, and therewith,

(b) four copies of lists indicating, respectively, the name and address of each person who is a party to all those agreements and the names of the persons each of whom is a party to one of them, and

(c) a certificate in form VIII signed by the person furnishing those copies and certifying that there are comprised in those copies the whole of the terms of those agreements and the names of all the persons who are parties to them at the date of the certificate (including, in the case of an agreement made by a trade association, all persons who are members of the association or are represented thereon by such members);

(iii) (a) in so far as the terms of any agreement are comprised in one or more instruments in writing, each of those instruments (including, in relation to an agreement in which a term is implied by virtue of Explanation II of section 35 of the Act, any specific recommendation to which such term applied) is a document of which copies are required to be delivered or sent to the Registrar:

Provided that if one or more of those instruments vary another or others of them, the copies of the instruments so varied may indicate and incorporate those variations;

(b) in so far as any such variation or determination is effected by any persons who are parties to it (including, in the case of an agreement made by a trade association, all persons who are members of the association or are represented thereon by such members) are not comprised in one or more instruments in writing a memorandum in writing, setting out the whole of these terms and the names of all those persons where a such memorandum is a document, of which copies are required to be delivered or sent to the Registrar.

13. *Particulars to be entered in the register.*—The Registrar shall enter the particulars of agreements which are subject to registration under Chapter V and the substance of each order made by the Commission under section 37 in the register maintained in accordance with form IX.

14. *Address to which documents are to be delivered or sent.*—Anything required by these rules to be delivered or sent to the Registrar shall be addressed to the Registrar of Restrictive Trade Agreements, New Delhi.

15. *Place where the register is to be maintained and inspected.*—The register of agreements shall be maintained at the Central Office of the Commission and at such other places as may be determined by the Central Government."

(c) after form VII, the following forms shall be inserted namely:—

"FORM VIII

(*See* rule 12)

Authentication

I,————son of ————residing/or carrying on business at—————————————do hereby solemnly and sincerely state to the best of my knowledge that there are comprised in these documents appended herewith the whole of the terms of the agreement or agreements and the names of persons who are parties to it (including, in the case of an agreement made by a Trade Association, all persons who are members of the association or are represented thereon by such members).

Signature————

Place————

Date————

Note.—The bracket portion may be deleted where not needed.

FORM IX

(*See* Rule—13)

Register

Sl. No.	Date of Agreement and its duration	Date of filing	Name & addresses of the parties to the agreement	Description of the goods or services which are the subject matter of the agreement	Substance of the agreement	Date of agreement etc. relating to variation/determination	Date of filing the said variation/ determination.	Nature of variation/ determination	Substance of the order made by the commission under section 37	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[No. F. 1/4/70-M(II)]

G. A. SHAH, Jt. Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी 1971

सा० का० नि० 92.—एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा नियम, 1970 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा (संशोधन) नियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा नियम, 1970 में—

(क) नियम 11 में "कार्य के समय" शब्दों के स्थान पर "रविवारों और सार्वजनिक छुट्टियों और प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवारों से भिन्न किसी भी दिन 10.30 पूर्वाह्न और 4.00 अपराह्न के बीच किसी भी समय" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(ख) नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"12 करार की विशिष्टियां देने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—

हर करार की बाबत जो अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय है—

(i) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को निम्नलिखित दी जायेंगी या भेज दी जायेंगी—

(क) इस नियम के खंड (iii) में उस करार के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्रत्येक दस्तावेज की चार-चार प्रतियां जिसमें से प्रत्येक की एक-एक प्रति उस व्यक्ति के द्वारा, जो उसको देता है हस्ताक्षरित या उसके हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित होगी और उसके साथ,

(ख) उस व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी प्रतियां देता है हस्ताक्षरित प्ररूप viii में एक प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया जायेगा कि उन प्रतियों में उस करार के सभी निर्बन्धन और उन व्यक्तियों के नाम जो इसके पक्षकार हैं, समाविष्ट है (उस करार की दशा में, जो व्यापार संगम द्वारा किया गया है, वे सभी व्यक्ति सम्मिलित है जो संगम के सदस्य हैं या जिनका ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) ;

(ii) जहां कोई व्यक्ति बहुत से करारों का पक्षकार है और जो, उसके अन्य पक्षकार की अनन्यता या उसकी तारीख या दोनों के सिवाय एक ही रूप में हैं, वह इनमें से प्रत्येक के करारों के व्यष्टिक रूप की बाबत इस

नियम के खंड (i) का अनुपालन करने की बजाय रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निम्नलिखित देगा या भेजेगा—

(क) इस नियम के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक दस्तावेज की चार-चार प्रतियां, जिनमें सभी करारों में सामान्य सभी निबन्धन उपवर्णित होंगे, जिनमें से प्रत्येक की एक-एक प्रति उस व्यक्ति द्वारा जो उसको देता है, हस्ताक्षरित या उसके हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित होगी, और उसके साथ

(ख) सूचियों की चार-चार प्रतियां, जिनमें इन सभी करारों के पक्षकार व्यक्तियों में से प्रत्येक के क्रमशः नाम और पते और ऐसे व्यक्तियों के नाम उपदर्शित होंगे, जिनमें से प्रत्येक उनमें से एक का पक्षकार है; और

(ग) उस व्यक्ति द्वारा जो ऐसी प्रतियां देता है हस्ताक्षरित प्ररूप [viii] में एक प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया जायेगा कि उन प्रतियों में प्रमाणपत्र की तारीख को उस करार के सभी निर्बन्धन और उन व्यक्तियों के नाम जो इसके पक्षकार हैं, समाविष्ट हैं (उस करार की दशा में जो व्यापार संगम द्वारा किया गया है, वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो संगम के सदस्य हैं या जिनका ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है);

(iii) (क) जहां तक किसी करार के निर्बन्धन एक या अधिक लिखत में लेखबद्ध रूप में समाविष्ट हैं, उनमें से प्रत्येक लिखत (ऐसे करार के सम्बन्ध में जिसमें कोई निर्बन्धन, अधिनियम की धारा 35 के स्पष्टीकरण II के आधार से विवक्षित है, कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश, जिसको ऐसा निर्बन्धन लागू होता है) ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रतियां रजिस्ट्रार को देनी या भेजनी अपेक्षित हैं :

परन्तु यदि इन लिखतों में से एक या अधिक में किसी दूसरे या दूसरों से फेरफार है तो इस प्रकार फेरफार किये गये लिखतों की प्रतियों में ये फेरफार उपदर्शित और सम्मिलित किये जा सकेंगे;

(ख) जहां ऐसा कोई फेरफार या पर्यवसान किन्हीं ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया है जो इसके पक्षकार हैं (ऐसे करार की दशा में जो व्यापार संगम द्वारा किया गया है वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो संगम के सदस्य हैं या जिनका ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) किसी लिखित एक या अधिक लिखत में लिखित ज्ञापन में, समाविष्ट नहीं है वहां, उन सब निबन्धनों को और उन सभी व्यक्तियों के नामों को उपवर्णित करते हुए जहां ऐसा ज्ञापन वह दस्तावेज है जिसकी प्रतियां रजिस्ट्रार को देना या भेजना अपेक्षित है।

13. रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां :

रजिस्ट्रार प्ररूप ix के अनुसार रखे गये रजिस्टर में अध्याय 5 के अधीन करारों की ऐसी विशिष्टियां, जो रजिस्ट्रीकरणीय हैं और धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश का सारांश दर्ज करेगा ।

14. पता जिस पर दस्तावेज दिये जाने या भेजे जाने हैं :

इन नियमों द्वारा रजिस्ट्रार को दी जाने या भेजी जाने के लिए अपेक्षित कोई चीज रजिस्ट्रार-निर्बन्धनकारी व्यापार करार, नई दिल्ली, के पते पर भेजी जायेगी ।

15. स्थान, जहां रजिस्टर रखा जायेगा और उसका निरीक्षण किया जा सकेगा :— करारों का रजिस्टर आयोग के केन्द्रीय कार्यालय और ऐसे अन्य स्थानों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किये जायें, रखा जायेगा ।

(ग) प्ररूप 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप

(नियम 12 देखें)

अधिप्रमाणन

पुत्र श्री

मैं निवास करता हूं/कारबार चला रहा हूं, एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्यनिष्ठा और सद्भावपूर्वक कथन करता हूं कि इससे संलग्न इन दस्तावेजों में करार या करारों के पूर्ण निर्बन्धन और उन व्यक्तियों के नाम जो इसके पक्षकार हैं, समाविष्ट हैं (उस करार की दशा में, जो व्यापार-संगम द्वारा किया गया है, वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो संगम के सदस्य हैं या जिनका ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है)

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

टिप्पण : कोष्ठक-प्रभाग, जहां आवश्यक न हो काटा जा सकता है ।

प्ररूप

(नियम 13 देखें)

रजिस्टर

क्रम सं०	करार की तारीख और इसकी अस्तित्वावधि	फाइल करने की तारीख	करार के पक्षकारों के नाम और पते	उन मालों या सेवाओं का विवरण जो करार की विषय-वस्तु हैं।	करार का सारांश	फेरफार/ पर्यवसान से सम्बन्धित करार की तारीख आदि।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

उक्त फेरफार/पर्यवसान को फाइल करने की तारीख	फेरफार/पर्यवसान की प्रकृति	धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा दिये गये आदेश का सारांश	टिप्पणियां
(8)	(9)	(10)	(11)

[सं० का० 1/4/70—एम (II)]

जी० ए० शाह,
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971